फा. सं. 14-1/2020-कार्मिक.(विविध)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

17-बी, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

दिनांकः 10 जनवरी, 2022

परिपत्र

विषय: नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 और संक्रमण के अनेक नए क्लस्टर के प्रसार से कोविड अनुरूप व्यवहार और निवारक उपाय सुनिश्चित करना।

शिक्षा मंत्रालय से दिनांक 13.12.2021 के ई-मेल के माध्यम से, यह संचारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के साथ आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में, यह देखा गया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार के प्रवर्तन में कमी आई है। इसके अलावा, अनेक राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में संक्रमण के बहुत से नए क्लस्टर भी सामने आ रहे हैं। इन नए गुच्छों में से अधिकांश विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में देखे जा रहे हैं।

बैठक में संकल्प लिया गया कि संबंधित विभाग अपने स्तर पर स्थिति की समीक्षा और आकलन कर सुनिश्चित करें और विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में हर समय और सभी स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार का प्रवर्तन सख्ती से लागू करें।

तदनुसार, संस्थान के सभी कर्मचारियों और संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 'कोविड उपयुक्त व्यवहार' का कड़ाई से पालन करें जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना शामिल है।

इसके अलावा, जलपान कक्ष/ कियोस्क और पार्किंग क्षेत्रों सहित लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों, सामान्य क्षेत्रों में भीड़ से बचें। जहां तक संभव हो, बैठकों का आयोजन वीडियो-दूरसंलाप के माध्यम से जारी रखा जाए और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से तब तक बचा जाए जब तक कि वे सार्वजनिक हित में नितांत आवश्यक न हों ।

10.1.2022

(डॉ. डी.एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रतिः

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सहायक
3. सभी संकाय सदस्य
4. सभी अनुभागाध्यक्ष- अपने अनुभाग/विभाग में कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।
5. सूचना पट्ट
6. स्वागत पटल- सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के परिसर में प्रवेश न करे, प्रत्येक प्रवेशकर्ता के लिए थर्मल स्कैनिंग और हाथ सैनिटाइज़ करना सर्वथा आवश्यक है जिसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।
7. सुरक्षा पर्यवेक्षक (पहरा एवं निगरानी स्टाफ) - इसी प्रकार की कार्रवाई हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट- नीपा की वेबसाइट पर स्टाफ कॉर्नर में रोस्टर को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।